हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठन- 55178-189 दिनांक 26 अगस्त, 2020

अधिसूचना

क्योकि उपायुक्त उना के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला उना के निम्नलिख्ति ग्राम सभा क्षेत्रों के पुर्नगठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला उना के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार पुर्नगठित करने का प्रस्ताव करते है और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम पंचायत सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव एवं यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला उना के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुर्नगठन/जोडने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला उना को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएगें;

राज्य सरकार जिला उिना के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुर्नगठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला उना की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

क्र सं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रमों को अवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रमों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रमों के नाम	ग्रम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुर्नगठन उपरान्त समस्त ग्रामों ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में शेष बचे ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	
1	विकास खण्ड बंगाणा						
	1 रायपुर	1 बडौर 2 रायेपुर 3 ज्वालापुर 4 अन्दरोली 5 दोबड़	दोबड़	परोईयां कला	1 परोईयां कलां 2 कुसियाला 3 मटेहटी 4 दोबड़	1 बडौर 2 रायेपुर 3 ज्वालापुर 4 अन्दरोली 5 रायेपुर	ग्राम सभा रायपुर से एक गांव दोबड ग्राम सभा

		6 रायेपुर उपली 7 गोविन्द सागर झील				उपली 6 गोविन्द सागर झील	परोईयांकला में सम्मिलित किया गया है तथा ग्राम सभा थहडा से ग्राम कोलका को अपवर्जित करके ग्राम सभा रायपुर में सम्मिलित किया गया है।
	2 थहड़ा	1 घरवासडा 2 कोलका 3 मकरैड 4 रामगढ़ 5 वल्ह खालसा 6. टांडा अनोखा 7 घयोड़	कोलका	ग्राम पंचायत रायपुर	1 बडौर 2 रायपुर 3 ज्वालापुर 4 अन्द्रौली 5रायपुर उपली 6 गोबिन्द सागर झील 7 कोलका	1 घरवासडा 2 मकरैड 3 रामगढ़ 4 वल्ह खालसा 5. टांडा अनोखा 6 घयोड	
	3 खरयालता	1 बही 2 तलमेहड़ा 3 लाल शाह 4 रौनखर 5 बडोआ 6 भलखु 7 सरनोटी 8 खैरीयां	1 खैरीयां 2 सरनोटी	ग्राम पंचायत डीहर	1 डीहर 2 राजपुरा 3 चड़ोली 4 चम्बोआ 5 सरनोटी 6 खैरीयां	1 बही 2 तलमेहड़ा 3 लाल शाह 4 रौनखर 5 बडोआ 6 भलखु	
2	विकास खण्ड गगरेट						
	1 जोह	1 जोह 2 वाह 3 सिकरी	सिकरी	सलोह बैरी	1 सलोह बैरी 2 सिकरी	1 जोह 2 वाह	ग्राम सभा जोह से एक गांव सिकरी ग्राम सभा सलोह बैरी में सम्मिलित किया गया है तथा ग्राम सभा सलोह बैरी जिसमें ग्राम जोह का आंशिक उप मुहाल को को ग्राम सभा जोह में सम्मिलित
	2 सलोह बैरी	1 सलोह 05 2 जोह (आंशिक उप मुहाल)	जोह (आंशिक उप मुहाल)	जोह	1 जोह 2 बाह	1 सलोह 2 सिकरी	

						किया गया है।
3 संघनेई	1 जीतपुर बहेड़ी 2 संघनेई 3 काला पगा 4 मटयालका 5 धनोवाल	जीतपुर बहेड़ी	भंजाल लोअर	1 भंजाल 2 कडड 3 मैरा नगर 4 जीतपुर	1 संघनेई 2 काला पगा 3 मटया–लका 4 धनोवाल	
विकास खण्ड अम्ब						
1 सूरी	1 सूरी 2 पलोह 3 सर 4 खुआड़ियां भरो बड़ पटिटयां	खुआड़ियां भरो बड़ पटिटयां	रपोह मिसरां	1 रपोह मुचलियां अव्वल 2 रपोह मुचलियां दोयम 3 पलाहड़ 4 डंगूही 5 रपोह कुच्छां 6 खुआड़ियां भरो बड़ पटिटयां 7 रिजर्व जंगल आर–1 8 रपोह मिसरां 9 रपोह मन–मुन्नयारी 10 गायंडू 11 भगेड़ 12 लड़ोतां 13 मुचलेहड़	1 सूरी 2 पलोह 3 सर	

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्त 55178-189 दिनांक 26 अगस्त, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. उपायुक्त उना, जिला उना, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझवों/आक्षेपों यदि कोई हो, को सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों के भीतर निपटारा करके ई–मेल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

2. जिला पचांयत अधिकारी उना को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिशिचित करवाएगें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला उना, हि0प्र0. को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पचांयत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिशिचित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/ सचिव ग्राम पचांयत जिला उना, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट पर चसपान सुनिशिचित करवाऐगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार करे।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।